न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 88/2023

1. दिनेश कुमार उम्र 18 वर्ष पुत्र सुमन पत्नि अमर सिंह जाति कुम्हार साकिन गली न. 1 वार्ड न. 5 प्रभू चौक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शिवानी उम्र 16 वर्ष नाबालिगा पुत्री सुमन पत्नि अमर सिंह जरिये पिता अमर सिंह पुत्र पतराम जाति कुम्हार साकिन गली न. 1 वार्ड न. 5 प्रभू चौक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. प्रीति उम्र 14 वर्ष पुत्री सुमन पत्नि अमर सिंह जरिये पिता अमर सिंह पुत्र पतराम जाति कुम्हार साकिन गली न. 1 वार्ड न. 5 प्रभू चौक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुमन पत्नि अमर सिंह जाति कुम्हार साकिन गली न. 1 वार्ड न. 5 प्रभू चौक, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिमाषकगण ::–

1. श्री सोहन लाल सुथार — प्रार्थीगण
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 14/2/25

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री सोहन लाल सुथार द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनबान का वाद श्रीमान जी के न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें सफलता की पूरी सम्भावना है।

यह कि प्रार्थीगण की माता सुमन पुत्री कालुराम पत्नि अमर सिंह के तहसील पीलीबंगा के चक 8 एचडीपी में मुस्तकरका खाता में कृषि भूमि निम्न प्रकार है –चक 8 एचडीएफ खाता स० 86/23 प०न० 9/255 (20) किला न० 1/1 = 0.1420 है० प.न. 10/255 (21) 5/1/0.0890, 5/2/0.0260, 5/3/0.0250, 5/4/0.1130, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250, 7/1/0.1240, 7/2/0.0380, 7/3/0.0910, 14/0.2530, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.2280,, 16/2/0.0250, 17/0.2530, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 कुल 2.1660 है. में मिकर की माता अप्रार्थीया का 1/3 हिस्सा खातेदारी मय गैर मुमकिन रास्ता व खाला हैक्टर हिस्सा है। इस प्रकार जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है

यह कि पैरा 2 में वर्णित भूमि तमाम पैतृक भूमि है जो प्रार्थीगण के नाना श्री कालुराम से प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थीगण अप्रार्थीया के साथ बराबर के अधिकारी है। कालुराम के फौत होने पर उनके तीन वारीसान में बराबर हक व हिस्सा प्राप्त हुआ था व उसी अनुसार इन्तकाल दर्ज हुआ था। जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। कालुराम के सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:11 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण हिन्दु उतराधीकारी अधिनियम के तहत बतौर सहदायीकी परिवार के जन्म से ही हक व हिस्सा है। वादाधीन भुमि प्रार्थीगण के नाना कालुराम के नाम 2.1660 है. में 1/3 हिस्सा सुमन अप्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा में 3/4 हिस्सा के अधिकारी है । भुमि अप्रार्थीया के नाम दर्ज होने के कारण व कब्जा हम

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीगण के पास होने से प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । वादीगण अपने हक व हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीया गलत व्यक्तियों की संगत में आ गई होने के कारण अपने नाम की खातेदारी भुमि को बैय करने की फिराक में है । अप्रार्थीया अक्सर घर से बाहर गलत संगत में चली जाती है जिससे भूमि को खुर्द बुर्द कर सकती है। जिससे हम प्रार्थीगण का जिसमें दो प्रार्थीगण नाबालिक भी है जिनके आजिविका का साधन चला जायेगा। जिससे न पुरा होने वाला नुकशान होगा जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जायेगा। चुंकि भुमि अप्रार्थीया को अपने पिता यानि हमारे नाना से प्राप्त हुई है । मौका पर कब्जा हम प्रार्थीगण के पास होने से, प्रथम द्रष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हम प्रार्थीगण के पक्ष में है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के निस्तारण तक मौका व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे कब्जा में किसी प्रकार से दखल ने देने के आदेष पारित किये जावें, श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी के बाद रजिस्ट्रर एडी नोटिस जारी किये गए हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में न होकर हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 05.06.2023 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:11 IST
Reason: SelfAttested